कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर।

क्रमांक:परि/प्रापअ/2015/10323 दिनांकः 19-08-2015

अधिसूचना 01/2015

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर के स्तर पर करवाये गये सर्वे, एम्बुलेन्स/शव वाहनों के ऑपरेटरों, यातायात पुलिस तथा एस.एम.एस. हॉस्पिटल के प्रशासन से संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय व परिवहन विभाग के पत्रांक:प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2004/15835, दिनांकः 14-08-2015 में इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी आदेश के आधार पर जयपुर शहर में एम्बूलेन्स/शव वाहनों का किराया निम्नानुसार निर्धारित कियेजाते है :-

श्रेणी--

1. प्रथम 10 कि0मी0 तक 400/-रूपये, (आना जाना सम्मिलित हैं।)
2. **10 कि0मी0 के बाद :-**

क्र सं.	श्रेणी	किराया प्रति कि.मी.
1	नॉन एसी वाहन मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि	8 रू
2	इसी श्रेणी की एसी वाहन	9 रू
3	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के नॉन एसी वाहन	10 रू
4	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के एसी वाहन	11 रू
5	अन्य बडे एम्बूलेन्स/शव वाहन नॉन एसी वाहन	13 रू
6	अन्य बडे एम्बूलेन्स/शव वाहन एसी वाहन	14 रू

3. एम्बूलेन्स तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, क्योंकि प्रायः ये वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिये जा सकते है। अतः 10 किमी से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के पश्चात् कुल किमी की गणना की जाएगी तथा उसी के अनुसार किराया देय होगा। अगर कोई वाहन उदाहरण के लिए नॉन एसी मारूती एम्बूलेन्स द्वारा 50 कि.मी. चलती है, तो कुल माईलेज 50-10=40x2 मानी जाएगी तथा देय किराया रू 400+80Kmx8=1040 रू देय होगा।
4. यह किराया निर्धारण वर्तमान में डीजल की प्रचलित रेट 55/--रू. प्रति लीटर के आधार पर किया गया हैं,क्योंकि डीजल की दरें बढती व घटती रहती हैं इसलिए ये दरें वर्तमान रू. 55/- प्रति लीटर के 5/-रू प्रति लीटर प्लस या 5/-रू प्रति लीटर नीचे आने तक मान्य

रहेगी, अर्थात् यह दरें डीजल के रेट 50 रू. प्रतिलीटर से 60 रू. प्रतिलीटर तक मान्य रहेगी तथा जब तक डीजल की दरें इस रेन्ज में रहती हैं तब तक देय किराया में न तो बढोतरी की जाएंगी न ही घटाया जायेगा। यदि ये दरे 5 रू. से अधिक बढती हैं या 5रू. से अधिक घटती हैं यानी ये दर 60 रू. प्रतिलीटर से अधिक हो जाती हैं या फिर 50 रू. प्रतिलीटर से कम हो जाती हैं तो किराया बढी हुई दर या कम हुई दर की 20 प्रतिशत प्रति बढी हुई राशि से अधिक या कम किया जा सकेगा। अर्थात् अगर डीजल का किराया 55 रू. से बढाकर 61 रू. प्रति लीटर होता हैं तो 60 रू के ऊपर बढा एक रूपया की राशि पर 20 प्रतिशत यानी 20 पैसे प्रति किलो मीटर प्रत्येक केटेगिरी के वाहन की निर्धारित दर से अधिक देय होगा । इसी प्रकार अगर डीजल दरे 50 रू. प्रति लीटर से कम हुई अर्थात अगर यह दर 49/– रू प्रति लीटर हो जाती हैं तो 50/– रू प्रति लीटर से कम हुए एक रू. पर 20 प्रतिशत यानी 20 पैसे प्रति किलोमीटर दरे निर्धारित दर से स्वतः ही कम हो जायेगी । दिनांकः 18–08–2015 को जयपुर में डीजल की दर 47.87 रू0 प्रति लीटर हैं, जो कि निर्धारित रेन्ज 50 रूपये से 2.13 रू0 कम हैं। अतः 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित दर से 43 पैसे प्रति कि0मी0 कम होगी। वर्तमान दर निम्न प्रकार होगी :–

क्र सं.	श्रेणी	किराया प्रति कि.मी.
1	नॉन एसी वाहन मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि	7.57 रू
2	इसी श्रेणी की एसी वाहन	8.57 रू
3	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के नॉन एसी वाहन	9.57 रू
4	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के एसी वाहन	10.57 रू
5	अन्य बडे एम्बूलेन्स/शव वाहन नॉन एसी वाहन	12.57 रू
6	अन्य बडे एम्बूलेन्स/शव वाहन एसी वाहन	13.57 रू

5. किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा ।
6. एम्बूलेन्स व शव वाहन उपयोगकर्ताओं से धुलाई करने या अन्य प्रकार के खर्चे की मांग नहीं करेगे तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा।
7. एसएमएस हास्पिटल के परिसर से इन वाहनों के संचालन की व्यवस्था एसएमएस हास्पिटल के प्रशासन द्वारा ही की जाएगी तथा इस व्यवस्था के संचालन हेतु प्रत्येक वाहन से प्रति ट्रीप 25/– रू. की राशि एसएमएस हास्पिटल प्रशासन द्वारा ली जाएगी।
8. एम्बूलेन्स में आवश्यक चिकित्सीय यंत्र,उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना कर एम्बूलेन्स वाहन स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।

9. उच्चस्तरीय तकनीकी एवं विशेष उपकरणों से युक्त उच्च श्रेणी की एम्बूलेन्स वाहन का अतिरिक्त किराया निर्धारण चिकित्सालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

आज्ञा से

(विजयपाल सिंह)
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर।

क्रमांकःपरि/प्रापअ/स्था/2015/10324 to 340 दिनांकः 19-8-2015
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1–अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकः 19/8/2015 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को प्रेषित करवाने हेतु ।
2–निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार ।
3–विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री,राजस्थान सरकार ।
4–विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री,राजस्थान सरकार ।
5–निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त),जयपुर।
6–निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग,जयपुर।
7–निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,विधि विभाग,जयपुर।
8–निजी सहायक,राज्य परिवहन प्राधिकरण,जयपुर।
9–वरिष्ट निजी सहायक,प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर।
10–निजी सहायक,उपायुक्त पुलिस(यातायात),जयपुर।
11–निजी सहायक,प्रिन्सिपल, सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज,जयपुर।
12–निजी सहायक,अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय,जयपुर।
13–समस्त मुख्यालय अधिकारी,परिवहन विभाग,जयपुर।
14–समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान ।
15 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, परिवहन विभाग,जयपुर।
16–रक्षित पत्रावली ।

आज्ञा से

(विजयपाल सिंह)
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर।

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर।

क्रमांक:परि / प्रापअ / 2015 / 10323   दिनांक: 19-08-2015

अधिसूचना 01 / 2015

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर के स्तर पर करवाये गये सर्वे, एम्बुलेन्स / शव वाहनों के ऑपरेटरों, यातायात पुलिस तथा एस.एम.एस. हॉस्पिटल के प्रशासन से संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय व परिवहन विभाग के पत्रांक:प.7(100)(71)परि / नियम / मु. / 2004 / 15835, दिनांक: 14–08–2015 में इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी आदेश के आधार पर जयपुर शहर में एम्बूलेन्स / शव वाहनों का किराया निम्नानुसार निर्धारित कियेजाते है :–

श्रेणी––

1. प्रथम 10 कि0मी0 तक 400 / –रूपये, (आना जाना सम्मिलित हैं।)
2. **10 कि0मी0 के बाद :–**

क्र सं.	श्रेणी	किराया प्रति कि.मी.
1	नॉन एसी वाहन मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि	8 रू
2	इसी श्रेणी की एसी वाहन	9 रू
3	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के नॉन एसी वाहन	10 रू
4	तवेरा,इनोवा बोलेरो,कूर्जर,रायनों आदि श्रेणी के एसी वाहन	11 रू
5	अन्य बडे एम्बूलेन्स / शव वाहन नॉन एसी वाहन	13 रू
6	अन्य बडे एम्बूलेन्स / शव वाहन एसी वाहन	14 रू

3. एम्बूलेन्स तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, क्योंकि प्रायः ये वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिये जा सकते है। अतः 10 किमी से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के पश्चात् कुल किमी की गणना की जाएगी तथा उसी के अनुसार किराया देय होगा। अगर कोई वाहन उदाहरण के लिए नॉन एसी मारूती एम्बूलेन्स द्वारा 50 कि.मी. चलती है, तो कुल माईलेज 50–10=40x2 मानी जाएगी तथा देय किराया रू 400+80Kmx8=1040 रू देय होगा।
4. यह किराया निर्धारण वर्तमान में डीजल की प्रचलित रेट 55 / –रू. प्रति लीटर के आधार पर किया गया हैं,क्योंकि डीजल की दरें बढती व घटती रहती हैं इसलिए ये दरें वर्तमान रू. 55 / – प्रति लीटर के 5 / –रू प्रति लीटर प्लस या 5 / –रू प्रति लीटर नीचे आने तक मान्य